खानाबदोश जातियों को बसाना

1253. **श्री हीरा लाल आर० परमार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खानाबदोश जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है और क्या किसी स्थाई निवास के अभाव में उनके जीवन स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है; और

(ख) क्या सरकार उन्हें स्थाई रूप से बसाने की कोई कार्यवाही कर रही है और यदि हां, तो तथ्यों सहित तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) पिछली जनगणनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त जाति के आधार पर अलग से कोई गणना नहीं की गई थी ।

(ख) राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनके राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश समुदायों के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है । इन योजनाओं में पुनर्वास बस्तिया बसाना, छात्रवृत्तियां/वजीफे, आश्रम स्कूल बालवाड़िया , कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, मुर्गीपालन, समुदाय कल्याण केन्द्र और पीने के पानी के कुएं भी शामिल है ।

Employees of Border Road Organisation

1254. SHRI MUKUNDA MANDAL: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) how many employees are there in the Border Road Organisation;

(b) how many employees of the Border Road Organisation have been suspended or discharged from service during the last five years; year-wise and reasons thereof; and

(c) how many employees of the Border Road Organisation have been court-martialled and given sentences or are on trial?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) 40,998 as on 1-8-80

(b) and (c) The details are being collected.

नेपा पेपर मिल को हुआ घाटा

1255. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा पेपर मिल घाट में चल रही है ;

(ख) गत तीन वर्षों मे वर्षवार इस मिल का कागज का उत्पादन कितना है और यह कागज किस दर पर बेचा गया था और इस मिल की उत्पादन क्षमता का कुल कितने प्रतिशत उपयोग किया गया है ,

(ग) क्या इस मिल द्वारा निर्मित किया जा रहा कागज घटिया किस्म का है ;

(घ) क्या इस मिल के अधिकारी आम तौर पर नेपानगर से बाहर भोपाल में ठहरते हैं और इस मिल में सदैव बिजली की कमी रहती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे म सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) दि नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स को पिछले तीन वर्षों से हानियां हो रही हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिल में हुए उत्पादन तथा क्षमता का उपयोग नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादन मी० टन में	क्षमता उपयोग का प्रतिशत
		प्रतिशत
1977–78	55,503	82.22
1978–79	47,965	71.05
1979–80	47,385	70.20

पिछले तीन वर्षों में नेपा न्यूजप्रिंट का बिक्री मूल्य निम्न प्रकार था :—

अवधि	प्रति मी० टन बिक्री मूल्य
	रुपये
12-6-75 से 20-4-79 तक	2700
21-4-79 से 16-3-80 तक	3200
17-3-80 से 24-10-80 तक	3682
25-10-80 से (विद्यमान अवधि)	3886

(ग) अखबारी कागज तैयार करने में मुख्य रूप से कच्ची सामग्री के रूप में सलाई का इस्तेमाल किया जाता है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए अखबारी कागज की किस्म संतोषजनक कही जा सकती है, फिर भी, मिल किस्म सुधारने के लगातार प्रयत्न कर रही है ।

(घ) और (ङ) मिल के अधिकारी, राज्य सरकार और अन्य संगठनों के साथ विचार विमर्श करने के लिए कभी-कभी भोपाल का दौरा करते है । नेपा मिल्स को 1978–79 से बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है । विद्यमान उपकरणों का नवीकरण करके और अतिरिक्त विद्युत् बायलरों की स्थापना करके पर्याप्त कैप्टिव विद्युत जनित्रण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

Amendment to Criminal Procedure Code for releasing of prisoners serving life sentence

1256. SHRI V. S. VIJAYARAGHAVAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government had amended the Criminal Procedure Code in 1978 with a view to releasing the prisoners serving life sentence after 14 years;

(b) whether the same concession will be available to the prisoners sentenced prior to 1978; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): (a) to (c) Section 433A providing that notwithstanding anything contained in section 432, where a sentence of imprisonment for life is imposed on conviction of a person for an offence for which death is one of the punishment provided by law, or where a sentence of death imposed on a person has been commuted under section 433 into one of imprisonment for life, such person shall not be released from prison unless he had served at least fourteen years of imprisonment was inserted in the Code of Criminal Procedure by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 1978 (45 of 1978), which came into force with effect from 18th December, 1978.